तेलंगाना ने कृष्णा नदी जल ववािद को ट्रबि्यूनल को सौंपने की मांग की

चर्चा में क्यों?

तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नतिनि गडकरी से अनुरोध कयिा है कि कृष्णा नदी के जल बँटवारे को लेकर ववािद को अधकिरण को सौंप दयिा जाए ताकि राज्य के लोगों को न्याय मलि सके।

प्रमुख बदिु:

- तेलंगाना द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल ववािद (ISRWD) अधनियिम, 1956 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार अनुरोध के बावज़ूद केंद्र सरकार ने न्यायमूर्त बृजेश कुमार ट्रबि्यूनल की अवधबिढ़ा दी थी और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधनियिम, 2014 के अनुसार मामले को संदर्भति कयिा गया था।
- चूँकि अधनियिम की धारा 89 का दायरा काफी सीमति था जो तेलंगाना के उचति मांगों के साथ न्याय करने में नहीं सक्षम होता। इसलयि यह अनवािर्य हो गया था कि मामले को अंतर्राज्यीय नदी जल ववािद (ISRWD) अधनियिम के तहत ट्रबि्यूनल के पास भेजा जाए।
- एक अलग अनुरोध में मुख्यमंत्री ने कहा था कि सीता राम लफ्टि सचिाई परयिोजना को एक नई परयिोजना के बजाय गोदावरी नदी पर चल रही एक पुरानी परयिोजना के रूप में माना जाए ताकि परयिोजना को आवश्यक मंजूरी मलिने के बाद समय पर पूरा कयिा जा सके।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त आंध्र प्रदेश की पूर्व सरकार ने परयिोजना को ₹ 1,681 करोड़ की लागत वाली राजीव दुमुगुडेम लफ्टि सचिाई योजना और ₹ 1,824 करोड़ लागत की इंदरिासागर रुद्रमकोटा लफ्टि सचिाई योजना के रूप में मंजूरी दे दी।
- तदनुसार इन दो परयिोजनाओं पर कार्य शुरू कयिा गया था और राज्य के वभिाजन के समय क्रमशः ₹ 871.8 करोड़ और ₹ 899.36 करोड़ खर्च कएि गए थे।
- हालाँकि परयिोजना को फरि से डज़िाइन कयिा जाना था क्योंकि इंदरिसागर परयिोजना का मुख्य कार्य शेष आंध्र प्रदेश में चला गया था और इसका सीमांकन कार्य वन्यजीव अभयारण्य के कोर क्षेत्र से होकर गुजर रहा था।
- गौरतलब है कि अंतर्राज्यीय मुद्दों से बचने के लयि सरकार ने परयिोजना के मुख्य कार्य को तेलंगाना के अधकिार क्षेत्र में हस्तांतरति कर दयिा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/refer-krishna-disputes-to-tribunal